रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271773
CG-DL-E-13042026-271773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
No. 254]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 278(अ).— केंद्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में, नियम 4 के उप-नियम (3) में, खंड (iv) में, उप-खंड (ख) और उप-खंड (ग) के लिए निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थातः–

" (ख) सदस्य (सिंचाई) . – अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए; और

(क) अभ्यर्थी के पास नियमित रूप से बीस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित में से किसी पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव शामिल हो (आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख तक) , –

(i) केंद्रीय सरकार के अधीन मुख्य अभियंता या समकक्ष, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (रु 1,44,200-2,18,200) या उससे उच्च पद पर; या

(ii) राज्य सरकार या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन मुख्य अभियंता या समकक्ष अथवा उससे उच्च पद पर; या

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में रु 1,50,000-3,00,000 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान या समकक्ष अथवा उससे उच्च वेतनमान वाले पद पर, और

(ख) अभ्यर्थी के पास पिछले दस वर्षों के दौरान प्रमुख सिंचाई प्रणाली की आयोजना निर्माण या अभिकल्प या निर्माण या संचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

टिप्पण: ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें हरियाणा राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम में कार्य करने का अनुभव हो।

(ग) सदस्य (विद्युत) . – अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए; और

(क) अभ्यर्थी के पास नियमित रूप से बीस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित में से किसी पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव शामिल हो (आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख तक) , –

(i) केंद्रीय सरकार के अधीन मुख्य अभियंता या समकक्ष, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (रु 1,44,200-2,18,200) या उससे उच्च पद पर; या

(ii) राज्य सरकार या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन मुख्य अभियंता या समकक्ष अथवा उससे उच्च पद पर; या

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में रु 1,50,000-3,00,000 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान या समकक्ष अथवा उससे उच्च वेतनमान वाले पद पर, और

(ख) अभ्यर्थी के पास पिछले दस वर्षों के दौरान निम्नलिखित की आयोजना या अभिकल्प या निर्माण या संचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए,-

(i) विद्युत संयंत्र; या

(ii) पारेषण लाइनें (न्यूनतम वोल्टेज स्तर 66 किलोवोल्ट या उससे अधिक)।

टिप्पण: ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें पंजाब राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम में कार्य करने का अनुभव हो **"**।

[फा. सं. 5-8/24/2017-बीबीएमबी]

मोहम्मद अफ़ज़ल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1330, तारीख 11 दिसम्बर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ), तारीख 13 फ़रवरी, 2023 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

G.S.R. 278(E).— In exercise of the powers conferred by section 97 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely: –

1. (1) These rules may be called the Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, in rule 4, in sub-rule (3), in clause (iv), for sub-clauses (b) and (c), the following sub-clauses shall be substituted, namely: –

"(b) Member (Irrigation) . – The candidate should be an engineering graduate in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution; and

(A) the candidate should possess twenty years of regular experience with a minimum of one year experience (as on the closing date of receipt of application) as, –

(i) Chief Engineer or equivalent in level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200) or higher post under the Central Government; or

(ii) Chief Engineer or equivalent or higher post under the State Government or State Public Sector Undertaking; or

(iii) such post carrying the pay scale of Rs.150000-300000 (Industrial Dearness Allowance) or equivalent or higher pay scale in the Central Public Sector Undertaking, and

(B) the candidate should possess at least five years of work experience during the last ten years in planning or design or construction or operation and maintenance of major irrigation system.

Note: Preference shall be given to candidates having such experience of working in Department or Undertaking of the State Government of Haryana.

(c) Member (Power) .– The candidate should be an engineering graduate in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution; and

(A) the candidate should possess twenty years of regular experience with a minimum of one year experience (as on the closing date of receipt of application) as, –

(i) Chief Engineer or equivalent in level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200) or higher post under the Central Government; or

(ii) Chief Engineer or equivalent or higher post under the State Government or State Public Sector Undertaking; or

(iii) Such post carrying the pay scale of Rs.150000-300000 (Industrial Dearness Allowance) or equivalent or higher pay scale in the Central Public Sector Undertaking, and

(B) the candidate should possess at least five years of work experience during the last ten years in planning or design or construction or operation and maintenance of,-

(i) power plants; or

(ii) transmission lines (minimum voltage level 66 kilovolts or above).

Note: Preference shall be given to candidates having such experience of working in Department or Undertaking of the State Government of Punjab.**"**.

[F. No. 5-8/24/2017-BBMB]

MOHAMMAD AFZAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1330, dated the 11th December, 1974 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 94(E), dated the 13thFebruary, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.04.13 21:50:01 +05'30'